

जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों का विरोध बढ़ा, पुलिस ने खदेड़ा

ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया

नागौर, (नि.सं.) जिले के सरासनी गांव में एक निजी कंपनी के विरोध में धरना दे रहे किसान और पुलिस बुधवार को आमने-सामने हो गए। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों का विरोध बढ़ गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया।

इस बीच कुछ लोगों ने एक खेत में आग लगा दी। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस जाफा तैनात किया गया है। वहीं, इस घटना पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट करते हुए पुलिस लाठीचार्ज को निंदनीय बताया है।

जानकारी के मुताबिक जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के विरोध में किसान 134 दिन से धरना दे रहे थे। इस बीच बुधवार को निजी कंपनी की ओर से हरिमा, सरासनी आदि गांव में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही थी। इस बीच धरने पर बैठे ग्रामीणों का विरोध बढ़ गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया तो पुलिस ने भी



सरासनी गांव में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों के विरोध करने पर पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया।

लोगों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। कुछ लोगों ने खेत में आग लगा दी।

घटना के बाद मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार कि कंपनी की

ओर से हरिमा, सरासनी आदि गांव में जमीन खरीदी गई है। सरासनी के किसानों का आरोप है कि उनकी जमीनों 8 लाख रुपये प्रति बीघा में खरीदी गई और सही कीमत नहीं दी। इसी को लेकर यह धरना चल रहा

था। कंपनी ने बुधवार को काम शुरू किया तो विवाद बढ़ गया।

जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बुलाई बैठक :- इस पूरे मामले के बाद नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने एक बैठक

कुछ लोगों ने एक खेत में आग लगा दी, मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, पुलिस जाफा तैनात

बुलाई है। इस बैठक में कंपनी और विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है। किसान इस बात पर अड़े हैं कि जमीनों के जो पैसे हैं उनके दाम बढ़ाकर दिए जाएं, फिलहाल पूरे मामले में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित नजर बनाए हुए हैं।

जिला खेमायाम बिजाराणियां ने बताया कि कंपनी के काम शुरू करने के दौरान पुलिस भी मौजूद रही। किसानों ने विरोध किया और पत्थरबाजी हो गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इसी बीच कुछ लोगों ने एक खेत में आग भी लगा दी। घटना के बाद सरासनी गांव में भारी पुलिस जाफा तैनात किया गया है।

कोचिंग छात्र के बैंक खाते में फ्रॉड राशि का लेनदेन, मामला दर्ज

श्रीगंगानगर, (नि.सं.) कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले एक छात्र के बैंक खाते का दुरुप्रयोग कर इसमें फ्रॉड की राशि के लेनदेन का मामला साइबर थाने में दर्ज हुआ है। कोचिंग स्टूडेंट को लोन दिलाने के बहाने उसके एक दोस्त ने उससे डॉक्यूमेंट लिए। बाद में लोन की प्रोसेस पूरी करने के नाम पर खाते की पास बुक और एटीएम आदि अपने पास रख लिए। पीड़ित स्टूडेंट के मोबाइल नंबर की जगह अपना नंबर अपडेट करावा लिया और साइबर फ्रॉड की राशि का लेनदेन खाते में कर दिया। कोचिंग स्टूडेंट को अपने साथ हुए धोखे का तब पता तब लगा जब उसे हरियाणा पुलिस से मिली टेलीफोन कॉल से उसके खाते में फ्रॉड राशि के लेनदेन का पता लगा। इस पर उसने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित स्टूडेंट ने बताया कि वह शहर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान

दोस्त ने धोखे से बैंक अकाउंट खुलावाया, मोबाइल नंबर बदलकर की धोखाधड़ी

एक साथी स्टूडेंट से हुई। वह उसके किए के कपरे पर आने जाने लगा। इसी दौरान पास के गांव में रहने वाली पीड़ित की बहन ने उसे अपने घर रहने का ऑफर दिया। इसे पीड़ित ने मान लिया। पीड़ित ने बताया कि उसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से शहर से करीब तीन किलोमीटर दूर गांव आने जाने के लिए बाइक की जरूरत थी। उसने इस संबंध अपने साथी स्टूडेंट से बात की। उसके साथी स्टूडेंट ने उसे लोन का काम करने वाले एक व्यक्ति से मिलवाया। पीड़ित के साथी स्टूडेंट ने उसे कहा कि लोन के लिए उसका बैंक खाता खुलवाना

जरूरी है। वह इसके लिए पीड़ित को मीरा चौक स्थित बैंक में ले गया। वहां उसका खाता खुलवाया और लोन प्रोसेस करवाने के नाम पर उसकी बैंक पास बुक, एटीएम कार्ड आदि अपने पास रख लिए। बाद में आरोपी साथी स्टूडेंट ने पीड़ित को बताया कि उसके मोबाइल नंबर पर लोन से जुड़े ओटीपी नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में बैंक खाते में मोबाइल नंबर बदलना होगा। आरोपी ने पीड़ित के मोबाइल नंबर की जगह अपना बताया एक मोबाइल नंबर पीड़ित के बैंक खाते में अपडेट करावा दिया। इसके बाद आरोपी में इसमें फ्रॉड की राशि का लेनदेन करने लगा। पीड़ित ने बताया कि पिछले दिनों उसे हरियाणा पुलिस से आर फोन कॉल से उसके खाते का दुरुप्रयोग होने की जानकारी मिली। पुलिस ने उसके खाते से बड़ी राशि का लेनदेन होने की जानकारी दी। इस पर उसे अपने साथ हुए धोखे का पता लगा।

जैसलमेर में पर्यटन व्यवसायी के शोरूम में जीएसटी की रेड

बताया जा रहा है कि जीएसटी चोरी की शिकायतों को लेकर टीम सर्वे कर रही है

जैसलमेर, (नि.सं.) जैसलमेर शहर स्थित जैसलमेर आर्ट एंड क्राफ्ट के शोरूम में बुधवार को एमजीएसटी की टीम ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि जीएसटी चोरी की शिकायतों को लेकर टीम सर्वे कर रही है।

स्टेट जीएसटी जैसलमेर की सीटीओ पंकज पंवार के नेतृत्व में टीम शोरूम पहुंची और सर्वे की कार्रवाई शुरू की। टीम शोरूम में बिना बिलों के बचे जा रहे माल की शिकायत पर आई है। टीम बिलों और कागजों को पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान शोरूम के स्टॉफ को अंदर-बाहर नहीं होने दिया गया। गौरतलब है कि सोनार किले की

पार्किंग में स्थित जैसलमेर आर्ट एंड क्राफ्ट शोरूम में हैडीक्राफ्ट के आइटम की बिक्री होती है। पिछले दिनों जैसलमेर में लगी सैलानियों की भीड़ में जैसलमेर में काफी बिजनेस हुआ है। सैलानियों ने जमकर खरीदारी की है। शहर के वरिष्ठ नागरिक प्रेमनारायण ने बताया कि पर्यटन व्यवसाय में लगे चांदी के जेवर बेचने वाले सालाना करोड़ों रुपये की

जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, परन्तु विभाग नीड में सो रहा है। जानकारी के अनुसार शोरूम में जीएसटी चोरी की शिकायतों को लेकर और जीएसटी बिलों में हेराफेरी को लेकर स्टेट जीएसटी की टीम पहुंची है और सर्वे कार्य देर शाम तक जारी है। शहर में जीएसटी टीम की दबिश को लेकर व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ दिखा।

मकान तोड़ने के मामले में हाईकोर्ट की रोक

जोधपुर, (का.सं.) राजस्थान हाईकोर्ट ने जालौर जिले में राजपूत समाज के लोगों के मकान तोड़ने पर रोक लगा दी है। कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई की गई थी जिसमें लक सिंह, देवी सिंह और मोहन सिंह की ओर से याचिका दायर की गई थी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से निखिल भंडारी ने पैरवी की। ग्राम डूडसी निवासी लखसिंह, देवीसिंह व मोहनसिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक रिट याचिका तथा स्थान प्रार्थना-पत्र एडवोकेट निखिल भंडारी के मार्फत पेश किया था।

एडवोकेट निखिल भंडारी ने बहस करते हुए हाईकोर्ट को यह बताया कि प्राथी कई पीढ़ियों से ग्राम डूडसी के खसरा नम्बर 655 में पिछले 60 वर्षों से निवास कर रहे हैं। उनके पास जमीन की जमाबन्दी तथा नक्शा भी मौजूद है। वे भूमि की बीगोडी/टैक्स भी सम्बन्धित विभाग में जमा कराते हैं, जिसकी सनद भी जारी हो चुकी है। एडवोकेट निखिल भंडारी ने बहस करते हुए यह भी बताया कि उन्होंने रिट याचिका के साथ प्राथीगणों के पुराने पक्के मकान के फोटो भी प्रस्तुत कर रखे हैं, लेकिन जालौर

तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी व जिला कलेक्टर प्राथीगणों के निर्माण तोड़कर उन्हें बेघर व बेकम्बल करना चाहते हैं, जो कि अनुचित व अवैध है। एडवोकेट निखिल भंडारी ने हाईकोर्ट को ऐसा करने से रोका जाए। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार माथुर ने सुनवाई के बाद अप्राथीगणों को नोटिस जारी कर लखसिंह, देवीसिंह व मोहनसिंह के मकान व निर्माण को तोड़ने व उन्हें बेकम्बल करने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी।

अफीम का दूध जप्त, एक

बदमाश गिरफ्तार

उदयपुर, (नि.सं.) शहर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने तीन लाख रुपये का अवैध अफीम दूध जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक छगन राजपुरोहित के सुपरविजन में प्रोबेशनर आईपीएस माधव उपाध्याय व प्रतापनगर थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में गठित दल ने आसूचना के सहयोग से देवारी क्षेत्र से शंभूसिंह पुत्र भंवरसिंह निवासी नला फला देवारी प्रतापनगर को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से तीन लाख रुपये मूल्य का अवैध मादक पदार्थ अफीम दूध जब्त कर प्रकरण दर्ज किया।

राजस्थान IV 4ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

सूचना				
(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत)				
क्र. सं.	लाइन / सबस्टेशन का नाम (अनुसार स्थान)	बीपीसी की संख्या शिफ्ट के अनुसार लाइन की लंबाई / क्षमता (कि.मी/एमवीए)	वार्डिंग ट्रांसमिशन शुल्क (आईएनआर) मिलियन प्रति क्र.	कमीशनिंग रोक्यूट टिप्पणी
1.	765 / 400 केबी चिरोर (जिला मैनपुरी) सब-स्टेशन और संबंधित उपकरण।	3000 एमवीए 730 एम्पिअर (कि.मी) 1380 एम्पिअर (एसएलआर)	5500 एमवीए	असरदार तारीख यानी 30.12.2024 से 24 महीने
2.	बाडमेर-1 प्रुलिग सब-स्टेशन पर संबन्धित कार्य संबंधित खण्डों के साथ	5500 एमवीए		
3.	स्टेटकॉम (2x300 एमवीए) के साथ एसएसटी (4x125 एमवीए) और एसएसआर (2x125 एमवीए) के साथ-साथ बाडमेर-1 पीएस में 2 नग 400 केबी व	600 एमवीए		
4.	400 केबी फतेहगढ़-IV पीएस (सेवशन-2)-बाडमेर-1 पीएस डी / सी लाइन (खाद)	39.588 किमी		
5.	फतेहगढ़-IV पीएस (सेवशन-2) पर 2 नग 400 केबी लाइन व			
6.	765 केबी चौथा-चिरोर डी / सी लाइन	283.046 किमी		
7.	चिरोर एस/एस पर 765 केबी अलीगढ़ (पीजी)-उरई (पीजी) डी / सी लाइन के दोनो सर्किट का एलआईएलओ	34.83 किमी		
8.	चिरोर में 765 केबी आगरा (पीजी) फतेहपुर (पीजी) 2Xएस/सी लाइन के एक सर्किट का एलआईएलओ	26.137 कि.मी		
9.	400 केबी चिरोर-फिरोजपुर (यूपीपीटीसीएल) डी / सी लाइन (खाद)	43.281 कि.मी		
10.	दौसा एस/एस पर 2 नग 765 केबी लाइन व	480 एमवीए (एसएलआर)		
11.	फिरोजपुर (यूपीपीटीसीएल) एस/एस में 2 नग 400 केबी लाइन व			

नोट: (1) तल 1, 7, 8, 9, और 11 के स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में हैं; तल 2, 3, 4, 5 और 10 का स्थान राजस्थान में हैं; और तल 6 का स्थान उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में हैं।
(2) पूर्ण दायरे के लिए कृपया <https://www.powergrid.in/subsidiaries> पर जाएं।
(3) आयोग के समक्ष दायर पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.powergrid.in/subsidiaries> पर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है। आवेदन का निवेशक कंपनी के सी/ओ ईडी (टीपीसीबी), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीआरओ, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर-29, गुरुग्राम 122001 में श्री प्रेम प्रकाश राय, परिचालन प्रबंधक, राजस्थान IV 4ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड या आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोग का कार्यालय में भेजा जा सकता है।
(4) आपात या शुभवा, यदि कोई हो, आवेदन या उसके संबंधित एपेंट, अडवायर में नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, 7 वीं मंजिल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोडी नगर, नई दिल्ली-110029 के समक्ष आवृत्त (सी) / सुझाव (सी) की एक प्रति के साथ दायर किया जाना चाहिए।
श्री प्रेम प्रकाश राय, परिचालन प्रबंधक, राजस्थान IV 4ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
स्थान: नई दिल्ली, तारीख: 08.01.2025

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेवेन्यू अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001
दिनांक: 07.01.2025
क्रमांक: -जोधपुर/2024-25/जो.मु.व्या.व्य/2075
:: ई-निविदा सूचना संख्या - मुख्यालय/36 & 37/2024-25 ::
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था (निविदा सूचना सं. 36/2024-25) तथा प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संबद्ध जिनका पंजीयन 2 वर्ष की अवधि में पुनरावलोकन (Review) किया हुआ हो एवं फर्म (निविदा सूचना सं. 37/2024-25) से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्य की अनुमानित लागत, निविदा बंधे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण www.eproc.raajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
UBN No. :- JOD2425GS0B00309, JOD2425WS0B00308
राज.संवाद/सी/24/10037 अधिशाही अभियंता

कार्यालय नगर विकास न्यास, पाली
जिला कलेक्टर परिसर, पाली
फोन नं. 02932-223222 ई-मेल - uitpal@gmail.com
दिनांक: 07.01.2025
क्रमांक: -पाली/वि.पा.न/2025/2263
:: ई-निविदा सूचना संख्या-30/2024-25 ::
नगर विकास न्यास, पाली की ओर से न्यास/राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संबद्धों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से सिविल कार्य हेतु ऑन-लाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्य की अनुमानित लागत, निविदा बंधे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण www.eproc.raajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। तथा न्यास कार्यालय, पाली में कार्य दिवस के दौरान भी देखी जा सकती है।
कार्य सू.बी.एन.नम्बर (sppp.raajasthan.gov.in)
सिविल कार्य ITP2425WS0B00047
राज.संवाद/सी/24/10035 अधिशाही अभियंता

कार्यालय नगर परिषद, जालौर (राजस्थान)
क्रमांक: -नया/विकास/2024-25/5526 दिनांक: 02.01.2025
:: ई-निविदा सूचना 08/2024-25 ::
यत् नगर परिषद जालौर द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर सिविल निर्माण व ठोस कचरा प्रबंधन कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार एवं मान्यता प्राप्त यथा: नगर निगम/परिषद/पालिका एवं राज्य सरकार/केंद्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्रों में E-Procurement प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा कार्य एवं ई-निविदाओं के संबंधित विवरण वेबसाइट www.eproc.raajasthan.gov.in डाउनलोड व अपलोड एवं www.sppp.raajasthan.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।
S.N. Work no. NIB No.
1 2 DLB2425A4713
प्रशासक आयुक्त
नगर परिषद, जालौर नगर परिषद, जालौर

कृषि अनुसंधान केंद्र, बांसवाड़ा
(महाराष्ट्र प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विधेयविद्यालय, उदयपुर)
दासदे रोड, बोटवट फार्म, बांसवाड़ा (राज.) 321001
Mo. No. 9413044271 / 8209938201 Mail ID: zdr_arsh@yahoo.com. Visit us: www.mpuat.ac.in
क्रमांक: एफ ()/कृअक/2024-25/152-156 दिनांक 04.01.2025
निविदा सूचना (2024-25)
कृषि अनुसंधान केंद्र, बांसवाड़ा के लिये कृषि कार्य हेतु पंजीकृत संवेदक/ ठेकेदार से अर्पित अनुभव क्षमताओं के साथ मासिक कार्य / कार्यानुसार हेतु खुली निविदाएं बंद लिफाफों में आमंत्रित की जाती है। पंजीकृत संवेदक/ठेकेदारों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में देनी होंगी। निविदा प्रारूप, सम्पूर्ण नियम एवं शर्तें विधेयविद्यालय की वेबसाइट www.mpuat.ac.in एवं www.sppp.raajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा प्रारूप प्रामाणिक की अंतिम तिथि 15.01.2025 दोपहर 1.00 बजे तक रहेगी। उक्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 2.00 बजे तक जमा की जाकर अपराह्न 2.30 बजे तक की उपस्थिति में खोली जावेगी। निविदा प्रारूप जमा करवाते समय कार्य के सामने वर्णित निविदा शुल्क एवं धराहर राशि जमा करवानी होगी।
कार्य का विवरण अनुमानित लागत (रु.) धराहर राशि (रु.) निविदा शुल्क (रु.)
कृषि अनुसंधान केंद्र, बोरवट फार्म बांसवाड़ा पर पक्का बीज उत्पादन कार्यक्रम में कृषि कार्य। 2,31,400/- 5000/- 500/-
संगामी निदेशक अनुसंधान

भाइयों से मारपीट करने के दो फरार आरोपी गिरफ्तार

डूंगरपुर, (नि.सं.) कोतवाली थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में फरार दो आरोपी गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर दो भाइयों को मारपीट कर घायल कर दिया था। दोनों बंदमाश करीब तीन माह से फरार चल रहे थे। वहीं दोनों पर पांच-पांच हजार का इनाम घोषित था। कोतवाली थाने के सीआई ने बताया कि साबली निवासी सुनील डोडा ने रिपोर्ट में बताया था कि 12 अक्टूबर 2024 को वह और उसका भाई गलंदर में आर्योजित फुटबॉल प्रतियोगिता से डूंगरपुर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान नवाडेय के पास अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोककर उनसे शराब के लिए पैसे

शराब के लिए पैसे नहीं देने पर घायल किया था

मांगे, लेकिन जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों भाई जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर वहां से बच निकले थे। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाशी की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने बोरी गांव निवासी मनीष पुत्र ईश्वरलाल गमेठी और रवि पुत्र मोहनलाल आमलिया को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले में दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

घर के बाहर खेल रहे पांच साल के बच्चे का अपहरण

श्रीगंगानगर, (नि.सं.) यहां आर्किटेक्ट के पांच साल के बेटे का किडनैप हो गया। बाइक सवार बदमाश बच्चे को बीच में बैठकर ले गए। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें बदमाश बच्चे को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके आधार पर सदर थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। नाकाबंदी भी कराई गई है। जानकारी के अनुसार रामदेव कॉलोनी की गली नंबर 9, 5-ईं छोटी निवासी रुद्र (5) बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे दादा के साथ घर के बाहर खेल रहा था। दादा एक मिनट के लिए घर के अंदर गए। इस दौरान बाइक पर दो बदमाश आए और बच्चे को उठाकर बाइक पर ले गए। बाद दादा बापस बाहर आए तो रुद्र उन्हें गायब मिला। हड़कंप मचने पर परिजन बाहर आए और पुलिस को इसकी सूचना दी। अपहरण के करीब एक से डेढ़ घंटे बाद बच्चे के दादा भारत भूषण समरसोत (55) के मोबाइल फोन पर रुद्र वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ। इसमें बच्चा खेत में फिट्टी में खेला नजर आ रहा है। पुलिस इसी आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। एस्पी गौरव यादव ने बताया कि

बाइक पर आए थे दो बदमाश, दादा के मोबाइल पर बच्चे का फुटेज भेजा

प्रथमदृष्टया बच्चे का अपहरण किसी परिचित के करने की आशंका है। अपहरण के समय आसपास मौजूद लोगों का कहना था कि बच्चे को जिस तरह से दो युवक लेकर गए, उससे ऐसा नहीं लगता है कि वे बच्चे से परिचित नहीं थे। दादा भारतभूषण समरसोत का कहना है कि उनका किसी से कोई बैर नहीं है, न ही किसी ने फिरीती के लिए कॉल किया है। रुद्र के पिता करण समरसोत (30) रामदेव कॉलोनी स्थित घर में ही रुद्र आर्किटेक्ट पंड कंसल्टेंट फर्म चलाते हैं। रुद्र की छोटी बहन नतुन छह महीने की है। जब बच्चे का किडनैप हुआ, तब मां प्रियंका (25), पिता करण और छोटी बहन घर के अंदर ही थे।

जयपुर विकास प्राधिकरण
ई-नीलामी
जनवरी-11 एवं फरवरी-1, 2025
307 मुख्य/दुकान/गोदाम
68 व्यावसायिक भूखण्ड
34 लोह मण्डी मार्ग, जयपुर
01 जयपुर
03 वेस्ट वे हाईवे, जयपुर
09 शीर्ष नगर, जयपुर
03 दूधपोट नगर, जयपुर
04 रियासत रेजिडेंसी जयपुर
01 कृष्णा सरोवर, जयपुर
02 न्यू आतिश मार्केट स्कीम, जयपुर
01 मोजी विहार जयपुर
01 रियासत टाउन श्रीव स्कीम, जयपुर
02 लालकोटी स्कीम, जयपुर
04 इरिटद्यूशनल स्कीम, ग्राम-वेहमीकला, जयपुर
01 गोल्डन रेजिडेंसी स्कीम, जयपुर
01 हरित विहार स्कीम, जयपुर
01 वीआरवी पर्स एन्वेलव स्कीम, जयपुर
156 मिश्रित भू-उपयोग भूखण्ड
17 रिंग रोड प्रोजेक्ट ग्राम-खटवाहा, जयपुर
12 रिंग रोड ग्राम-सीतामण्डरा योजना, जयपुर
09 रिंग रोड परियोजना ग्राम-अजयराजपुरा, जयपुर
09 रिंग रोड प्रोजेक्ट ग्राम-अजयवाला, जयपुर
31 रिंग रोड प्रोजेक्ट ग्राम-गुहाना, जयपुर
13 रिंग रोड प्रोजेक्ट ग्राम-पीपला, जयपुर
06 रिंग रोड परियोजना ग्राम-श्यामपुरा बुहारिया, जयपुर
21 रिंग रोड परियोजना ग्राम-अभयपुरा, जयपुर
02 रिंग रोड परियोजना ग्राम-खेड़ी गोडगुणपुरा, जयपुर
01 रिंग रोड परियोजना ग्राम-सूजपुरा जयपुर
10 रिंग रोड ग्राम-जयसिंधु बुहारिया योजना, जयपुर
07 रिंग रोड परियोजना ग्राम-पिपनपुरा, जयपुर
03 रिंग रोड परियोजना ग्राम-शिववासपुरा, जयपुर
04 रिंग रोड परियोजना ग्राम-महापुरा, जयपुर
04 रिंग रोड परियोजना ग्राम-सिरीली, जयपुर
01 रिंग रोड परियोजना ग्राम-रातवा, जयपुर
01 रिंग रोड प्रोजेक्ट ग्राम-कानहवा, जयपुर
01 रिंग रोड परियोजना ग्राम-मनोहरियावाला, जयपुर
04 मेडो एन्वेलव, जयपुर
60 आवासीय भूखण्ड
02 मिल्क कुंज फेज-1, जयपुर
01 मिल्क कुंज जयपुर
03 कल्पना नगर, जयपुर
01 ग्राम-इन्डु की नांगल उर्ध्व बांधवाला तह. सांगानेर योजना, जयपुर
22 शांति नगर, जयपुर
08 रवर्ण विहार, जयपुर
02 आनंद विहार योजना, जयपुर
01 पञ्चम कालीनी, जयपुर
03 लोहाड़ी मरवा फेज-1, जयपुर
09 शोक्ली नगर-1, जयपुर
01 विहार नगर सेक्टर-9 योजना, जयपुर
05 ग्राम-सवाई गिरिहर सांगानेर, जयपुर
01 ग्राम-सिरीली, जयपुर
01 शोर्षा नगर, जयपुर
06 फार्म हाउस भूखण्ड
01 एएसएस अस्पताल को रोड सेट जयपुर से जोड़ने के लिए अडवायर
01 इन्स्टीट्यूशनल रामचन्द्रपुरा, योजना, जयपुर
04 गुप हाउसिंग भूखण्ड
02 गुप हाउसिंग ग्राम-मोनेर, जयपुर
01 हरित विहार योजना, जयपुर
01 टीलावाला योजना, जयपुर
01 रिसॉर्ट
01 मिल्क कुंज फेज-11, जयपुर
01 रिसॉर्ट/कैफेतेरिया
02 सर्विस यार्ड (टाईप-ए)
02 दूधपोट नगर सिकर रोड, जयपुर
02 सर्विस यार्ड (टाईप-बी)
02 दूधपोट नगर सिकर रोड, जयपुर
03 गोदाम (टाईप-बी)
02 दूधपोट नगर सिकर रोड, जयपुर
नीलामी की नियम व शर्तों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.raajasthan.gov.in
+91 9462-569-696
इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004